8

प्रशासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी

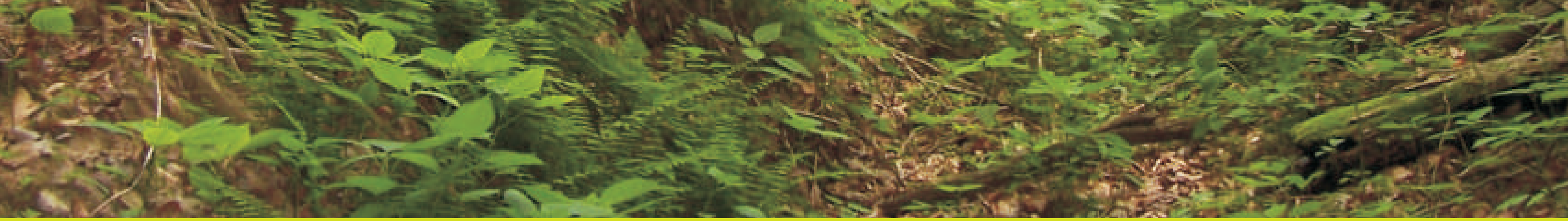

प्रशासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी

8.1. सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसन्धान, प्रशासन तथा अन्य सहायक क्रियाकलाप को करने में सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य चालक शक्ति है। भा.वा.अ.शि.प. का सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है जिसमें उनकी संतुष्टि के लिए 24X7 सेवाओं को उपलब्ध करवाई जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. के अधीन संस्थानों तथा भा.वा.अ.शि.प. के मुख्यालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

भा.वा.अ.शि.प. का डाटा सेन्टर : भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म इफ्रिस अनुप्रयोग तथा अन्य सम्बन्धित मुख्य सेवाएं जैसे संदेश सेवा, वेब सेवा, आंकडा आधार सेवा, प्राक्सी सेवा, डी.एन.एस. सेवा, डी.एच.सी.पी. सेवा, एफ.टी.पी. सेवा, बैकअप सेवा, इंटरनेट सेवा, एम.पी.एल.एस.–वी.पी.एन. सेवा, विडियो कान्फ्रेसिंग, एंटीवायरस सेवा, हेल्प डैस्क सेवा, सी.ए., ई.एम. एस., आई.एस.एस. इत्यादि सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भा.वा. अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों के विभिन्न पहलुओं पर 18 वेबसाइट को भा.वा.अ.शि.प. वेब सर्वर चलाता है। भा.वा.अ.शि.

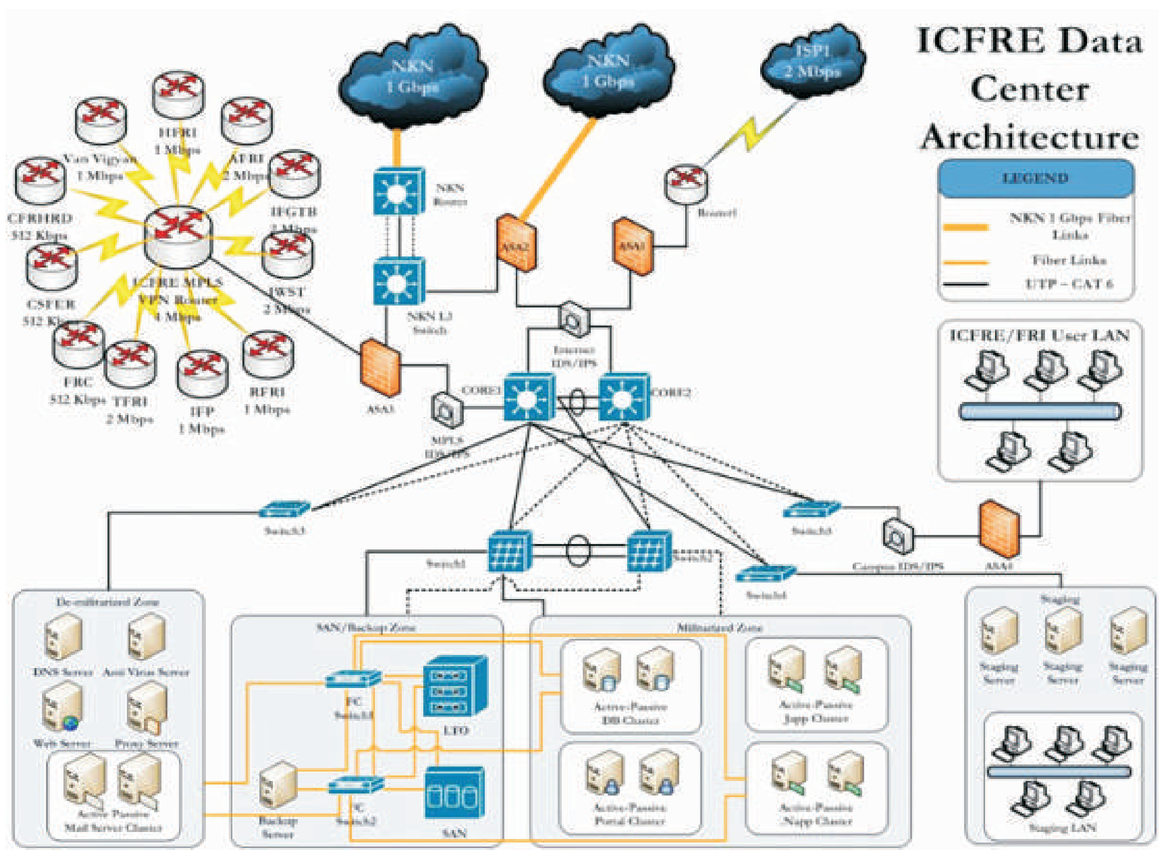

प. डाटा सेन्टर में बिल्डिंग मैनेजमेंट तंत्र (बी.एम.एस.) विभिन्न गैर सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे फायर एलार्म सिस्टम, वैरी अरली स्मोक डिटैक्शन एप्लायन्स (वैसडा) तंत्र, रोडैंट नियंत्रक, वाटर लीकेज डिटैक्टर, एसैस तंत्र, सर्वीलेंस तंत्र, पब्लिक एडरेस (पी.ए.) तंत्र, कूलिंग तंत्र के प्रभावी प्रबन्धन, अनुश्रवण तथा एकीकरण के लिए बनाया तथा कार्यान्वित गया।

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं सूचना तंत्र (इफ्रिस) : इफ्रिस को इस उद्देश्य के साथ परिकल्पित किया गया ताकि कुछ उपस्थित मानवीय कार्यपद्धतियों को स्वचालित कर दिया जाए; जैसे पहुँच को बढ़ाना/सुधारना, पादर्शित तथा सेवाओं की जिम्मेदारी : भा.वा.अ.शि.प. के उत्तरदायित्व को कार्य स्वचालन तथा ज्ञान प्रबन्धन द्वारा बढाना उपभोक्ताओं पणधारियों को भा.वा.अ.शि.प. द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सूचना तथा सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना। पी.आई.एम.एस. (व्यक्तिगत सूचना प्रबन्धन तंत्र), पी.एम.एस. (पेरोल प्रबन्धन तंत्र), एफ.ए.एस. (वित्तीय अकाऊटिंग तंत्र), आर.आई.एम.एस. (अनुसन्धान सूचना तंत्र), ई.डी.एम.एस. (विद्युतीय प्रलेखन तंत्र) इत्यादि कुछ ऐसे मॉडयूल है जो संस्थानों में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाते है। पी.आई.एम.एस. में 2098 कर्मचारियों का आंकडा है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के 16126 छुट्टियों का लेन-देन हुआ।

पी.एम.एस. को सभी संस्थानों में दो से अधिक वर्षो से उपयोग किया जा रहा है। पे-स्लिप तथा वेतन से सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदनों को पी.एम.एस. के द्वारा बनाया जाता है। कुल 37482 वाऊचर एफ.ए.एस में 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक बनाए गए। आर.आई.एम.एस. में लगभग 350 परियोजना आंकडे है। ई.डी.एम.एस. में 6000 से अधिक दस्तावेज है।

विडियों कान्फ्रेसिंग सुविधाएं : भा.वा.अ.शि.प. में विडियो कान्फ्रेसिंग सुवाएं मई 2008 से प्रारम्भ की गई तथा आज तक उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक वार्तालाप की भांति 900 से अधिक विडियों कान्फ्रेसिंग सत्र सफलतापूर्वक पूरे किये गये।

नेटवर्क सहायता : स्टेट आफ आर्ट हार्डवेयर के साथ अन्तिम बिन्दुओं पर 100 एम.बी.पी.एस. संयोजकता के साथ गिगाबीट आप्टिकल फाईबर बैकबीन के द्वारा लैन/वैन सेवाओं को वन अनुसन्धान संस्थान/भा.वा.अ.शि.प. के भीतर 350 उपभोक्ताओं तक फैलाया गया है। भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों में लेयर थ्री मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग (एन.पी.एल.एस.) वर्चुल प्राईवेट नेटवार्किग (वी.पी.एन.) की स्थापना के द्वारा नेटवर्क स्पोर्ट सिस्टम में भा.वा.अ.शि.प. द्वारा नई सुविधा जोडी गई है। एम.पी.एल.एस.-वी.पी.एन. संयोजकता को इफ्रिस अनुप्रयोग, विडियों कान्फ्रेसिंग सेवाएं, एफ.टी.पी. सेवाओं तथा अन्य आन्तरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है। भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में उपयोग किये जाने वाले नेटवर्क, हार्डवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. पोषित करता है। लगभग 15 राऊटर भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों में संस्थापित किये गये है तथा यह सभी वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध के अधीन हैं। उपयुक्त उपकरणों के रखरखाव का अनश्रवण तथा रिपोटिंग सम्बन्धित संस्थानों के सूचना प्रोद्योगिकी प्रभागों द्वारा किया जाता है।

हार्डवेयर का रखरखाव : वर्तमान में भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक तक स्तर के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को एक डेस्कटॉप, कम्प्यूटर तथा प्रिंटर से सुसज्जित किया गया है। नेटवर्क हार्डवेयर के रखरखाव के अतिरिक्त तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में संस्थापित कम्प्यूटर तथा पैरीफीरल हार्डवेयर का रखरखाव भी इसी प्रभाग द्वारा किया जाता है। संस्थान स्तर पर हार्डवेयर का रखरखाव सम्बन्धित संस्थानों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है।

एन. के. एन. : इस प्रबन्धन के अधीन संयोजकता राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान का आधार बनाती है। भा.वा.अ.शि.प. ने मौजूदा एम.पी.एल.एस.-वी.पी.एन. प्रबन्धन के एक विकल्प के रूप में एन.के.एन. संयोजकता उपयोग को उच्च बैंड विड्थ तथा मूल्य प्रभाविक्ता के सभी सम्भागीय संस्थानों में स्थापित करने की परिकल्पना कर रहा है।

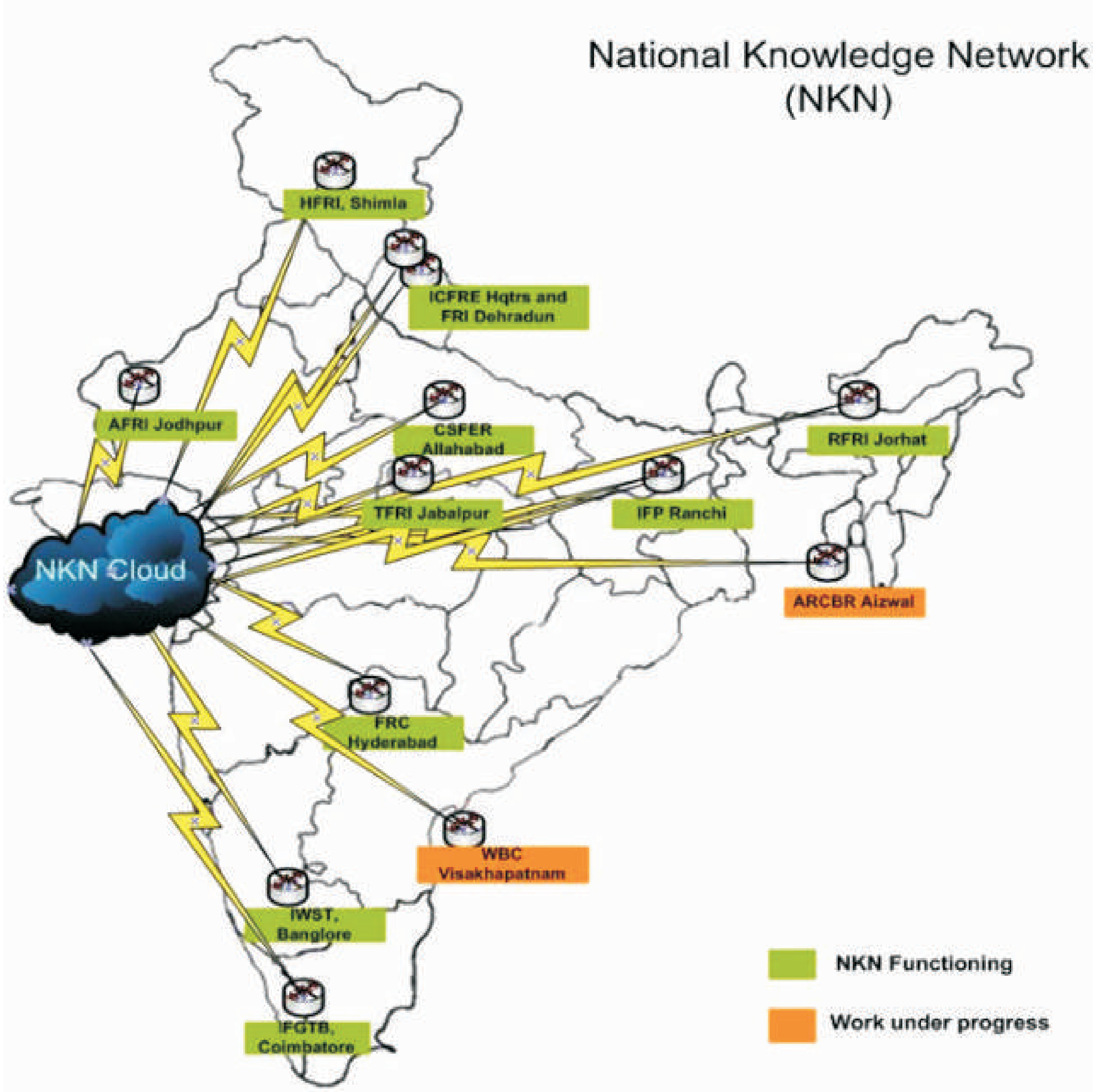

भा.वा.अ.शि.प. कर्मचारियों के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण प्रबन्धित करना तथा प्रशिक्षण दिलाना : प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. /व.अ.सं., देहरादून के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आन्तरिक प्रशिक्षण देने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय)/संस्थानों के कर्मचारियों को पी.आई.एम.एस., एफ.ए. एस तथा ई.डी.एम.एस. मॉडयूल के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये। ''डाटा वेयर हाऊस तथा डाटा माइनिंग'' पर 18 से 22 मार्च 2013 को भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों के वैज्ञानिक के एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

इंटरैक्टिव पोर्टल का विकास तथा रखरखाव : हितधारकों के साथ इन्टरफेस : सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के बदलते हुए परिदृश्य में अन्तउपभोक्ताओं की समस्याओं/पूछताछ के

परम्परागत तरीके पुराने हो चुके है तथा भा.वा.अ.शि.प. को समस्या सुलझाव संस्था/विशेषज्ञों की टीम के रूप में दिखाने के लिए रणनीतियों में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस पोर्टल को इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करके अपने अन्तउपभोक्ताओं को तीव्र तथा विश्वसनीय समाधान उपलब्ध करवाने के लिए विकसित किया गया है।

भा.वा.अ.शि.प. वेबसाईट का डिजाइन तथा विकास : भा.वा.अ.शि.प. वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है तथा उसको रखरखाव कर रहा है। नई सुविधाए भी जोड़ी गई है। वैबसाइट पर सूचना को अद्यतन किया गया है।

आई.पी.सी. वेबसाइट : अन्तराष्ट्रीय पापलर कमीशन (आई.पी.सी.) संयुक्त राष्ट्र की खाद्य तथा कृषि संस्था की एक तकनीकी साविधिक निकाय है तथा इसका **लक्ष्य पॉपलर तथा विलों की कृषि, संरक्षण तथा उपयोगिता को प्रोत्साहित** करना है। यह सम्बन्धित राज्यों के राष्ट्रीय पॉपलर कमीशन, कार्यदलों तथा पूरे सत्रों द्वारा काम करता है। अन्तर्राष्ट्रीय पॉपलर कमीशन का 24 सत्र 30 अक्टूबर 2012 से 2 नवम्बर 2012 तक व.अ.सं., देहरादून में आयोजित किया गया। वेबसाईट http://ipc2012.icfre.org को इसके लिए कागजों का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण, ऑनलाईन भुगतान तथा ऑनलाईन सुविधा के साथ इसके लिए विकसित की गई थी।

डाटा बेस : कई प्रकार के डाटाबेस भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों में उपलब्ध है यथा भारतीय काष्ठ कीट डाटाबेस भारतीय, कठोर काष्ठों का शारीरिकीय डाटाबेस, राष्ट्रीय वन कीट संग्रह, (एन.एफ.आई.सी.), भारत के लिए वन मृदा सूचना तंत्र, व.अ.सं., पादपालय का डाटाबेस, जैवविविधता पर डाटाबेस, का.वि.प्र.सं. का काष्ठ संग्रहालय (जाईलेरियम) का डाटाबेस, भारतीय काष्ठों के लिए विशेषज्ञ तंत्र, अकाष्ठ वन उपज सूचना तंत्र, अनुसन्धान परियोजना डाटाबेस इत्यादि; इन्हे समय समय पर अद्यतन किया जाता है। भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थानों में उपलब्ध डाटाबेसों की एक संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है :

क्र.सं.	**डाटाबेस**	**संस्थान**	**विवरण**
1.	काष्ठ एनोटोमी सूचना तंत्र (डब्ल्यू.ए.आई.एस.)	व.अ.सं., देहरादून	एक विशेषज्ञता पूर्ण साटवेयर "वुड एनाटोमी इन्फरमेशन सिस्टम (डब्ल्यू.ए.आई.एस.)" विकसित किया गया है तथा सभी बिखरे हुए आंकड़ों को उसमे भण्डारित किया गया।
2.	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह (एन.एफ.आई.सी.)	व.अ.सं., देहरादून	48,000 स्थानों से सम्बन्धित 17,000 प्रजातियों की सूचना उसमें भण्डारित है।
3.	अनिवार्य प्रजातियों पर वृक्ष सुधार पर डाटा बेस	व.आ.वृ.प्र.सं. कोयम्बटूर	वृक्ष सुधार पर सूचना तमिलनाडू राज्य वन विभाग, केरल राज्य वन विभाग, वन विभागों की वार्षिक प्रतिवेदन, भा.वा.अ.शि.प., सांख्यिकी रिपोर्ट, डैनिडा धन वृक्ष रिकार्ड, वैज्ञानिक तथा अन्य संसाधनों से सूचना एकत्रित की गई तथा डाटाबेस में भण्डारित की गई।
4.	जैवविविधता पर डाटाबेस	व.आ.वृ.प्र.सं. कोयम्बटूर	वानस्पतिक नाम, परिवार विवरण, वितरण, ऋतुजैविकिय उपयोग इत्यादि का उपयोग करके विभिन्न, पुन: प्राप्ति, जोड़ घटाव तथा सुधार विकल्पों के साथ यह 70 संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का आंकडा आधार है।
5.	का.वि.प्रौ.सं. का काष्ठ संग्रहालय (जाईलेरियम) का आंकडा आधार	का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर	का.वि.प्रौ.सं. का काष्ठ संग्रहालय (जाईलेरियम) की सूचना रखता है।

क्र.सं.	डाटाबेस	संस्थान	विवरण
6.	भारतीय काष्ठों के लिए विशेषज्ञ तंत्र, उनकी सूक्ष्म संरचना, पहचान गुण तथा उपयोग	व.अ.सं., देहरादून	भारतीय व्यापारिक काष्ठों की सूक्ष्म संरचना, पहचान, भौतिक गुण तथा उपयोग पर डाटाबेस भारतीय व्यापारिक काष्ठ के लिए बनाया गया है तथा आसानी से पुन: प्राप्ति के लिए इसे इलैक्ट्रानिक मीडिया (सी.डी.) में रखा गया है। इसे ''डब्ल्यू.ए.आई.एस.'' एक विशेषज्ञ तंत्र जो काष्ठ डाटाबेस के भण्डारण तथा पुन: प्राप्ति के लिए बनाया गया है, उसमे डाला गया है।
7.	अकाष्ठ वन ऊपज सूचना तंत्र	उ.व.अ.सं., जबलपुर डाटाबेस	अकाष्ठ वन ऊपज प्रजातियों के रिकार्ड रखने के लिए एक संवादात्मक डाटाबैस पैकेज
8.	भारतीय काष्ठ कीट डाटाबेस	का.वि.प्रौ.सं., बैंगलोर	काष्ठ तथा कीटों की सूचना रखता है।
9.	1990 से अनुसन्धान डाटाबेस परियोजनाएं	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	यह डाटाबेस 1990 से भा.वा.अ.शि.प. की सभी परियोजनाओं के डाटाबेस को रखता है। परियोजना से सम्बन्धित सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कई उपभोक्ताओं के लिए खोज विकल्प भी है। यह 1104 परियोजनाओ का विवरण रखता है।

भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में : उपर्युक्त वर्णित सेवाए, संस्थानों की वेब साईट, डाटबेस, हार्डवेयर/साफ्टवेयर की देखभाग संस्थान स्तर पर सम्बन्धित संस्थानों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभागों द्वारा की जाती है।

8.2. सेवोत्तम : सिटीजन/क्लाइंट चार्टर से सम्बन्धित क्रियाकलाप

भा.वा.अ.शि.प. एक अनुसन्धान संस्था है जो संस्थानों के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी राज्यों में वन विभागों तथा सामान्य जन को बड़े पैमाने पर अनुसन्धान सहायता उपलब्ध करवाकर वानिकी अनुसन्धान करता है। भा.वा.अ.शि.प. वानिकी तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े पैमाने पर ग्राहक जिसमें काष्ठ आधारित उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, आरा मिलें, राज्य वन विभाग, पुलिस विभाग, न्यायालय, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, कस्टम विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, इत्रालय तथा किसान मानते है कि हमारे पास एक मानक सेवा तंत्र है जो कि पारदर्शिता, जवाबदेही, विश्वसनीयता, प्रतिसादिता और सहानुभूति पर आधारित सभी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सेवोत्तम जन सेवाओं के सरकार के प्रशासनिक ''मानसिकता से सेवा भाव'' की मानसिकता की ओर झुकाव को प्रदर्शित करता है। यह एक मानकीकृत सेवा देने वाला उत्कृष्टता मॉडल है जिसका मुख्य गुण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं को पहचाना, प्रत्येक सेवा के लिए नियम बनाना नियमों के अनुसार आपूत्रि को सुनिश्चित करना, नियमित आधार पर आपूर्त्ति की गुणवत्ता का आकलन तथा सामान्य जन की शिकायतों को अग्र सक्रिय रूप से दूर करना।

आज के आधुनिक युग में यह प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह जन सेवाओं के लिए एक गुणवत्ता प्रबन्धन तंत्र कार्यान्वित करें।

8.2.1. चार्टर के संविन्यास के लिए की गई कार्यवाही

सिटीजन चार्टर बनाया गया तथा सभी संस्थानों में उपलब्ध चार्टर सेवाओं की वार्षिक समीक्षा के प्रावधन के साथ सभी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। सामान्य जन की समस्याओं का समय में समाधान हो रहा है इसका ध्यान जन शिकायत अधिकारी द्वारा रखा जाता है। शिकायतों के तुरन्त निवारण के लिए सुधारात्मक मापदण्डों के लिए कदम उठाए गए है।

वानिकी में अनुसन्धान समस्याओं की पहचान, समस्याओं पर आधारित परियोजनाओं को विकसित करने तथा अनुसन्धान परिणामों तथा प्रौद्यागिकी को अन्त उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रक्रियाओं का संविन्यास किया गया है। अनुसन्धान समस्याओं को जानने के लिए प्रत्येक संस्थान के क्षेत्राधिकार में पड़ रहे राज्यों की हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। राज्य वन विभागों के कर्मचारी, प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक तथा गैर सरकारी संगठनों ने हितधारकों की बैठक में सहभागिता की तथा समस्याओं के बारे में बतलाया जिन पर अनुसन्धन होने की आवश्यकता है। हितधारकों द्वारा बताई गई समस्याओं के आधार पर भी संस्थान के वैज्ञानिकों के बीच आंतरिक विचार विमर्श किया जाता है तथा वैज्ञानिक साहित्य को गहन समीक्षा के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा अनुसन्धान परियोजनाओं का संविन्यास किया जाता है। चार्टर को पूरा करने के लिए अनुसन्धान परियोजनाओं को पणधारियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् प्रारम्भ किया जाता है जिसमें बाहरी विशेषज्ञों, आन्तरिक समिति द्वारा जांचा जाता है और तब अनुसन्धान सलाहकार समूह द्वारा निधियन तथा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तथा मूल्यांकन द्वारा होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखी जाती है।

8.2.2. चार्टर को कार्यान्वित करने के लिए की गई कारवाई

चार्टर को लागू करने के लिए अनुसन्धान परियोजनाओं को हितधारकों के परामर्श के साथ तथा अनुसन्धान सलाहकार समूह द्वारा पुनरीक्षित तथा आन्तरिक निधियन तथा कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक निधियन तथा कार्यान्वयन के लिए अन्तिम रूप से अनुसन्धान योजना समिति द्वारा चार्टर के कार्यन्वयन के लिए विभिन्न निधियन एजेंसियों को परियोजनाए प्रस्तुत की गई। आफरी, जोधपुर की हितधारकों की बैठक जयपुर में 22 अगस्त 2012 को तथा वन प्रशिक्षण अनुसन्धान केन्द्र, गान्धीनगर में 10 सितम्बर 2012 को की गई। आफरी की अनुसन्धान सलाहकार समूह की बैठक 8 नवम्बर 2012 को आयोजित की गई। हि.व.अ. सं. ने वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाली परियोजनाओ, प्रशिक्षण के लिए सूचना, एक्सपोजर यात्राएं, कार्यशालाएं, सैमीनार तथा स्कूल के बच्चों के लिए जागरूकता अभियान के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित किये। वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान में अनुसन्धान परियोजनाएं उत्तर पूर्वी राज्यों के पणधारियों के साथ परामर्श, बाहर विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षित, अनुसन्धान सलाहकार समूह के सदस्यों तथा अन्त में कार्यान्वयन तथा निधियन के लिए अनुसन्धान योजना तथा निधियन के लिए अनुसन्धान योजना समिति के अनुमोदन के साथ बनाई गई।

8.2.3. चार्टर के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं

प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं परिषद् की कार्यात्मता का अभिन्न अंग है। इन्हे भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। संस्थान भी अनुसन्धान सलाहकार समूह की बैठके, हितधारकों की संवादात्मक बैठकें/सम्पर्क बैठके तथा भा.व.से. अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करवाते है। प्रशिक्षण घटकों को अध्याय छः में तथा कार्यशालाओं का विस्तार पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के अध्याय 7 में दिया गया है।

8.2.4. ग्राहकों के लिए चार्टर से सम्बन्धित प्रचार के प्रयास

चार्टर को वेबसाईट पर डाल दिया गया है। प्रिंट मीडिया सहित प्रकाशनों तथा विभिन्न मीडिया उपकरणों के द्वारा हितधारकों के लिए प्रयासों का प्रचार भा.वा.अ.शि.प. तंत्र का नियमित कार्य है। का.वि.प्रौ.सं. में अंग्रेजी, कन्नड, कोणकणी तथा तेलगु में कई प्रकाशन/तकनीकी बुलेटिन जारी किये गये जिन्हे कृषि मेलों, प्रशिक्षणों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, वन विज्ञान केन्द्रों में निःशुल्क वितरित किया जाता है। उनमें से केवल कुछ को ही भुगतान आधार पर लोगों को बेचा जाता है। उष्णकटिबन्धीय वन अनुसन्धान संस्थान में नागरिकों/ग्राहकों के लिए प्रचार तथा जागरूकता अभियान के लिए नोटिस बोर्ड तथा अन्य स्थानों पर नारे इत्यादि लिखे गये ताकि नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके। संस्थान में जागरूकता पर सामान्य भाषण भी दिये जाते है।

हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान के कर्मचारियों को वास्तव में ग्राहक चार्टर को हितधारकों के लाभ के लिए कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भा.वा.अ.शि.प. के अधीन अन्य संस्थान भी सामान्य जन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं।

8.2.5. चार्टर के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

संस्था में चार्टर के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए तथा नागरिकों/ग्राहकों में संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए का.वि.प्रौ.सं. में चार्टर के कार्यान्वयन का आन्तरिक मूल्यांकन, निदेशक द्वारा किया गया है तथा कुछ समय में संस्था में चार्टर के बाहरी मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। जबकि आफरी में सभी नई परियोजनाओं तथा जारी अनुसन्धान परियोजनाओं को अनुसन्धान सलाहकार समूह के आन्तरिक तथा बाहय विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया गया। हि.व.अ.सं. में वित्तीय वर्ष के अन्त में ग्राहक चार्टर का अनुश्रवण किया गया है जिसमे कार्य योजना में विस्तार क्रियाकलापों के बारे में हितधारकों को अवगत करवाया गया है तथा वन तथा पर्यावरण के अत्याधिक लाभ के लिए उन्हें प्रशिक्षण ने सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

8.3. पिछडी जाति तथा अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी उपाय

भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने हेतु भा.वा.अ.शि.प. में एक संवादात्मक बैठक 25 मार्च 2013 को आयोजित की गई। भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा इसके संस्थानों में 20 मार्च 2013 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''आरक्षण नीति'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा इसके संस्थानों से 19 सहभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। व.आ.वृ.प्र.सं. में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. एस बालाजी, निदेशक, टी.एन.एफ.ए. ने ''भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण'' पर डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर तथा उनके योगदान पर एक भाषण दिया।

का.वि.प्रौ.सं. से कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया है। यह प्रकोष्ठ संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी उपायों को भी देखता है। कर्मचारियों अपनी शिकायतें शिकायत निवारण अधिकारी को बतलाते है जिसका तुरन्त समाधन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का एक संघ भी बनाया गया है जो कि कर्मचारियों के समग्र विकास तथा कल्याण के लिए है। आफरी में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडे वर्ग के सामान्य कल्याण तथा उनके सामूहिक विकास तथा सुधार के लिए आफरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग के सामान्य कल्याण तथा उनके सामूहिक विकास तथा सुधार के लिए आफरी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ 20 सितम्बर 2012 को बनाया गया। संघ ने 6 सितम्बर 2012 को शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान में प्रथम बार भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का 56 परिनिर्वाण दिवस मनाया। डॉ. टी.एस. राठौर, निदेशक, आफरी में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रृद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता किया। प्रॉफेसर तारा राम, निदेशक, बोध अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, जोधपुर को इस अवसर पर एक भाषण डॉ. भीम राव अम्बेडकर का संविधान तथा पर्यावरण का संरक्षण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। श्री. एम.आर. बलौच, जी.सी.आर, आफरी, जोधपुर ने भी डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आर्दशों के बारे में बतलाया। संघ के व्यवस्थित कार्यात्मकता के लिए पुस्तकालय में एक अलग कमरा भी दिया गया है जिसे संघ द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडे वर्ग के कल्याण के कार्यो के लिए बैठकों तथा विचार विमर्श के लिए उपयोग में लाया जायेगा। कमजोर वर्ग के कर्मचारियों से 2012-13 के दौरान प्राप्त शिकायतों का निवारण कार्य प्रगति अधीन है।

हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कार्य किया गया संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों/विस्तार कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट में सुश्री इम्ताइंला आओ, वन संरक्षक की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्प संख्यकों समिति गठित की गई। समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों समुदायों के कर्मचारियों के कल्याण तथा शिकायतों को देखता है। सराहनीय रूप से इस समुदाय के कर्मचारियों ने वर्ष 2012-13 में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई।